न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/143/2024 रजू दिनांकः 29.10.2024 रजि0 न0 2024/255

अपीलार्थीः–

श्री हेमन्त प्रकाश, निवासी ग्राम कुण्डला, तहसील टहला–301410 जिला अलवर राजस्थान।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 25.11.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 11.11.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2145 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 03.08.2024 के परिपेक्ष्य में चाही गई सूचना के कम में अपीलार्थी द्वारा RTI Online आवेदन संख्या 293991868831983 दिनांक 03.08...2024 आवेदन के माध्यम से तहसीलदार टहला से संबंधित सूचना चाही गई थी जो कि स्वंय एक पृथक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय है, तदानुसार सीधे ही उक्त कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने बाबत ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 4205299788 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से आवेदन खारिज कर, विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व में प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः भिजवाई जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम अपील के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 4205299788 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि कमांक 2146 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)